

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),  
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-8-12-25

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के तहत केन्द्रांश मद में रू. 4000.03 लाख (रू. चालीस करोड़ तीन हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातु महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के तहत कुल रू. 22264.60 लाख (रू. दो सौ बाईस करोड़ चौसठ लाख साठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 20 दिनांक 08.04.2024 द्वारा तथा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में 2480.67 लाख तथा राज्यांश मद में 15211.91 लाख अर्थात् कुल रू. 17692.58 लाख (रू. एक सौ छियत्तर करोड़ बानवे लाख अठावन हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 81 दिनांक 28.08.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में रू. 4000.03 लाख (रू. चालीस करोड़ तीन हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

| क्र.                             | योजना का नाम                                                          | केन्द्रांश/<br>राज्यांश का<br>अनुपात | PFMS<br>Code       | विपत्र कोड             | विषय शीर्ष                                | पूर्व में स्वीकृत<br>राशि | अतिरिक्त स्वीकृत<br>राशि |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.                               | राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-<br>एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित)<br>(केन्द्रांश मद) | 60:40                                | 3975<br>(BR94<br>) | (51-<br>2235021020225) | 0225.<br>02.01,13.01<br>, 21.01,<br>26.01 | 22374.30                  | 4000.03                  |
| कुल - (रू. चालीस करोड़ तीन हजार) |                                                                       |                                      |                    |                        |                                           |                           | 4000.03                  |

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 478/वि० दिनांक 06.08.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-34/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 17/टि0 पर दिनांक 13.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृतादेश संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-34/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 21 /टि0 पर दिनांक 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/.....03...../दिनांक- 8-1-2025

**प्रतिलिपि** - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/.....03...../दिनांक- 8-1-2025

**प्रतिलिपि** - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/.....03...../दिनांक- 8-1-2025

**प्रतिलिपि** - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
निदेश दिया जाता है कि स्वीकृतादेश की प्रति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/.....03...../दिनांक- 8-1-2025

**प्रतिलिपि** - अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

①